Synergy

BSES
BSES Yamuna Power Limited

... दिल्ली सरकार के साथ एक संयुक्त उद्यम

मार्च–अप्रैल 2011

बीएसईएस की ओर से होली, ईस्टर और बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं

नवभारत टाइम्स

। नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । शुक्रवार 11 फरवरी 2011

बिजली का यूज बढ़ा, तो लोड अपडेट करें

कंपनियां ज्यादा सिक्युरिटी डिपॉजिट लेंगी

पूनम पाण्डे ॥ नई दिल्ली

अगर आपने पिछले साल स्वीकृत बिजली लोड से ज्यादा बिजली इस्तेमाल की है तो अब उसी हिसाब से सिक्युरिटी डिपॉजिट देने के लिए तैयार हो जाइए। दिल्ली इलैक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमिशन (डीईआरसी) ने इस संबंध में बिजली कंपनियों को हरी झंडी दे दी है और किस हिसाब से सिक्युरिटी डिपॉजिट लिया जाएगा यह भी तय कर लिया है। स्वीकृत लोड बढ़ने के साथ ही मीटर का किराया भी बढ़ेगा हालांकि यह काफी कम है।

बिजली कंपनियां काफी समय से कह रही हैं कि दिल्ली के उपभोक्ता स्वीकृत लोड से ज्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं जिससे नेटवर्क और बिजली सिस्टम में दिक्कत आती है। बिजली कंपनियां घोषित लोड के हिसाब से ही अपने सिस्टम को अपडेट करती हैं, पर उपभोक्ता स्वीकृत लोड से ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने लगे तो सिस्टम पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। कई इलाके ऐसे हैं जहां उपभोक्ता तय लोड से 80 से 100 पर्सेंट ज्यादा बिजली यूज करते हैं। बिजली कंपनियों ने बाकायदा इन इलाकों की लिस्ट भी बना रखी है।

कुछ समय पहले बिजली कंपनी एनडीपीएल ने उन उपभोक्ताओं से अतिरिक्त शुल्क वसूलना शुरू किया था जो तय लोड से ज्यादा बिजली यूज कर रहे हैं। लेकिन इस पर डीईआरसी ने रोक लगा दी। इस रोक के खिलाफ बिजली कंपनी ने अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलैक्ट्रिसिटी (एटीई) पर अपील की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद ट्रिब्यूनल ने अतिरिक्त बिजली इस्तेमाल करने वालों से बढ़े लोड का एक्स्ट्रा चार्ज लेने की इजाजत दे दी। अब डीईआरसी ने वह तरीका भी तय कर लिया है जिसके हिसाब से स्वीकृत लोड संशोधित किया जाएगा। इसी के मुताबिक फिर मीटर का किराया और सिक्युरिटी डिपॉजिट लिया जाएगा। यह हर साल अलग अलग हो सकता है। डीईआरसी के मुताबिक जिन उपभोक्ताओं के पास ऐसे मीटर हैं जिनमें मैक्सिमम डिमांड रेकॉर्ड करने का प्रावधान हैं, उनकी तीन सबसे ज्यादा डिमांड देखी जाएगी और उनका एवरेज निकाला जाएगा। यह एवरेज ही संशोधित स्वीकृत लोड होगा। यह 12 महीने के बिजली इस्तेमाल को देखकर निकाला जाएगा। इस बार अप्रैल 2009 से मार्च 2010 के बीच यूज की गई बिजली को देखा जाएगा और उसी से एवरेज निकालकर लोड संशोधित किया जाएगा। इसके बाद हर वित्त वर्ष में उससे पिछले वित्त वर्ष में बिजली की खपत को देखा जाएगा।

जिन उपभोक्ताओं के बिजली मीटर में मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर नहीं है उनसे लिए भी डीईआरसी ने गाइड लाइंस बनाई है। इसके मुताबिक बिजली कंपनियां उन उपभोक्ताओं की यूज की गई बिजली का एनालिसिस डेटा जमा करेगी और बिजली कंपनियों को बताना होगा कि उनका मैक्सिमम डिमांड इंडिकेशन क्या है। जो उनका स्वीकृत लोड माना जाएगा।

सूत्रों के मुताबिक हर बढ़े हुए किलोवॉट के लिए 600 रुपये सिक्युरिटी डिपॉजिट देना होगा। जैसे अगर आपका स्वीकृत लोड 2 किलोवॉट हैं लेकिन पिछले साल आपका बिजली यूज का एवरेज 4 किलोवॉट है तो 1200 रुपये अतिरिक्त सिक्युरिटी डिपॉजिट जमा करना होगा। 2 किलोवॉट स्वीकृत लोड तक मीटर का किराया 12 रुपये प्रति माह है और 5 किलोवॉट तक मीटर का किराया 24 रुपये प्रति माह। सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली का लगभग हर उपभोक्ता तय लोड से ज्यादा बिजली इस्तेमाल कर रहा है।

- डीईआरसी ने बिजली कंपनियों को स्वीकृत लोड संशोधन की हरी झंडी दी
- हर बढ़े हुए किलोवॉट के लिए 600 रुपये सिक्युरिटी डिपॉजिट देना होगा
- बिजली कंपनियों ने ज्यादा बिजली यूज करने वाले इलाकों की लिस्ट बनाई
- ज्यादा बिजली यूज करने वाले लोग उसी हिसाब से सिक्युरिटी डिपॉजिट देंगे

ठगों से सावधान

हमें पता चला है कि कुछ फर्जी लोग व ठग बीवाईपीएल के नाम पर उपभोक्ताओं को ठगी का शिकार बना रहे हैं। खुद को बीएसईएस कर्मचारी बताकर ये लोग उपभोक्ताओं से पैसे ऐंठने की कोशिश करते हैं। बीवाईपीएल अपने उपभोक्ताओं को सूचित करती है कि उसका कोई भी प्रतिनिधि किसी भी उपभोक्ता के घर पर, किसी भी कार्य के लिए नकद रूपये स्वीकार करने के लिए अधिकृत नहीं है।

बीवाईपीएल अपने उपभोक्ताओं से अपील करती है कि ऐसे असामाजिक तत्वों व ठगों से सावधान रहें। और, कारण चाहे जो भी हो, उन्हें कोई पैसा न दें। बिजली चोरी, जुर्माना, व्यावसायिक आदि कोई भी भुगतान सिर्फ बीएसईएस ऑफिसों में ही करें। अगर आपको कोई शक हो, या कुछ गड़बड़ लगे, तो तो कृपया निकटतम बीवाईपीएल ऑफिस में संपर्क करें, या डायल करें – 399–99–808 और, 100 नंबर डायल कर पुलिस को भी बताएं।

एसएमएस अलर्ट और ईमेल पर बिल के लिए रजिस्टर करें

हम आपको और बेहतर सेवाएं देना चाहते हैं। बिलिंग व भुगतान की डिटेल के बारे में एसएमएस अलर्ट और ईमेल पर बिल मंगवाने के लिए हमारे पास अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रजिस्टर करवाएं। विकल्प के तौर पर आप हमारे चौबीसों घंटे और सातों दिन काम करने वाले हेल्पलाइन नंबर 399–99–808 पर फोन कर सकते हैं। हमें bypl.customercare@relianceada.com पर ईमेल भी कर सकते हैं।

विशिष्ट सहयोगियों से मुलाकात

बीवाईपीएल के तीसरे विशिष्ट सहयोगी सम्मेलन का आयोजन 17 फरवरी को, लक्ष्मी नगर स्थित पूर्वा सांस्कृतिक केंद्र में किया गया। यहां सीईओ श्री रमेश नारायणन के नेतृत्व में बीवाईपीएल का सीनियर मैनेजमेंट मौजूद था, जिसने कंपनी की उपलब्धियों, योजनाओं और कस्टमर केयर से जुड़ीं पहल आदि के बारे में विशिष्ट सहयोगियों को बताया। इस मुलाकात के दौरान विशिष्ट सहयोगियों की जिज्ञासाओं व चिंताओं का समाधान भी किया गया।

बिजली बचाओ, धरती बचाओ!
शनिवार, 26 मार्च, 2011 को रात 8.30 बजे से 9.30 बजे तक
स्वेच्छा से, गैर जरूरी लाइट्स को बंद रखें

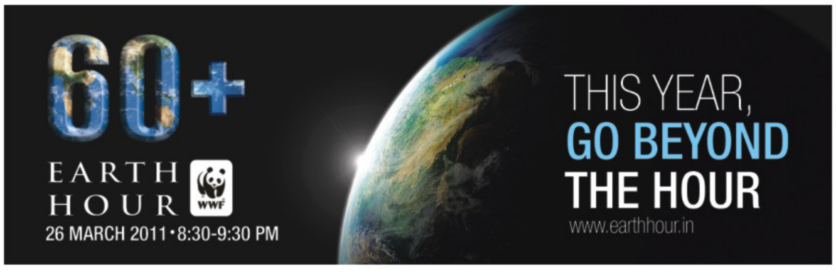

हम सुन रहे हैं ... डायल करें
बीवाईपीएल – 399–99–808